

28³
2018

अपीलान्त अर्जुन SDO बलेंडी से रिपयकी प्रश्न को
पुछी है जो पत्रावली में शामिल है। उपरोक्त रिपयकी
बलेंडी ने अपनी रिपयकी दिनांक 16/2/2018 से अर्जुन
को बताया कि अपीलान्त को नहीं गई सूचना उपलब्ध
करा दी गई है। अपीलान्त द्वारा सूचना प्राप्त की जा सकती
रिपयकी के साथ प्रेषित की गई है।

यदि उपरोक्त रिपयकी बलेंडी ने अपीलान्त को नहीं
गई सूचना उपलब्ध करा दी है। जिस पर अपीलान्त की
प्रति अक्रिय है। अतः पत्रावली पर अर्जुन को अपीलान्त
अपेक्षित नहीं है। अतः पत्रावली पर अपीलान्त की अपेक्षा पर
निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त
रिपोर्ट की प्रति अपीलान्त को स्वयंसेवक प्रेषित करें। पत्रावली
के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिक्रिया दी है। (18/2/18)
नम्र से कहें।

जिला कलेक्टर
बालपुर